88

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	Regd. No. RJ. 2777/93 RAJASTHAN GAZETTE *Extraordinary*
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

चैत्र 2, सोमवार, शाके 1920—मार्च 23, 1998

Chaitra 2, Monday, Saka 1920—March 23, 1998

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक (क-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 19, 1998

जी.एस.आर. 107:-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के पर्यावरण विभाग में निदेशक, उप-निदेशकों और वैज्ञानिक अधिकारियों के रूप में नियुक्ति हेतु विशेष चयन की प्रक्रिया और सेवा की शर्तें अधिकथित करने के लिए, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

राजस्थान सिविल सेवा (पर्यावरण विभाग में, निदेशक, उप-निदेशकों और वैज्ञानिक अधिकारियों के विशेष-चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 1998

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:-(i) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल सेवा (पर्यावरण विभाग में निदेशक, उप निदेशकों और वैज्ञानिक अधिकारियों के विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 1997 है। 1998

(ii) ये राजस्थान राज-पत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विस्तार और लागू होना:-ये नियम राजस्थान सरकार के पर्यावरण विभाग में निदेशक, उप-निदेशकों, वैज्ञानिक अधिकारियों की नियुक्ति पर लागू होंगे।

3. परिभाषाएं.-जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में,

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से निदेशक और उप-निदेशक के मामले में राजस्थान सरकार और वैज्ञानिक अधिकारी के मामले में निदेशक और ऐसा अन्य अधिकारी अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार द्वारा किन्हीं शर्तों के साथ या शर्तों के बिना यह शक्ति प्रत्यायोजित की जाये;

(ख) "समिति" से नियम 10 में निर्दिष्ट समिति अभिप्रेत है;

(ग) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "सेवा अभिलेख" से जहां वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का रखा जाना विहित किया जाये वहां ऐसा अभिलेख और अन्य सुसंगत सेवा अभिलेख अभिप्रेत है;

(ङ) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;

(च) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है, और

(छ) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

4. **निर्वचन**:-जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों के निर्वचन के लिए राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम VIII) उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

5. **पदों की संरचना, प्रकृति और संख्या**:-(i) अनुसूची-I में यथाविनिर्दिष्ट तीन पद-प्रवर्ग होंगे जो पदावधि के आधार पर या सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत किये गये अनुसार, धारित किये जायेंगे;

(ii) प्रत्येक प्रवर्ग के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत की जाये:

परन्तु सरकार कोई भी पद किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना, खाली या प्रास्थगित रख सकेगी या उत्सादित कर सकेगी।

6. रिक्तियों का अवधारण:-नियुक्ति प्राधिकारी, जहां तक संभव हो प्रत्येक वर्ष की 1, अप्रैल के पश्चात् अगले बारह मास के दौरान या जब कभी ऐसी आकस्मिकता उत्पन्न हो प्रत्येक वर्ग में भरी जाने के लिए प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या विनिश्चित करेगा:

परन्तु वर्ष 1997-98 के लिए रिक्तियों का अवधारण इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् यथासंभव शीघ्र किया जायेगा ।

7. अवधि:-(i) निदेशक या उप-निदेशकों या वैज्ञानिक अधिकारियों के किसी पद अधिकारी द्वारा सामान्यत: तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए धारित किये जायेंगे, जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय में एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए और बढ़ाया जा सकेगी किन्तु कुल अवधि किसी भी मामले में 6 वर्ष से अधिक की नहीं होगी ।

(ii) अनुसूची-I में यथा विनिर्दिष्ट पदों पर समस्त नियुक्तियों प्रथमत: मूल विभाग/सेवा या अनुसंधान/प्रशिक्षण संस्थाओं या संगठनों से अस्थायी स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति पर और एक वर्ष की कालावधि के लिए होगी जिन्हें प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर उपदर्शित कालावधि तक इस शर्त के अध्यधीन बढ़ाया जा सकेगा कि उक्त वृद्धि उसके मूल विभाग, सेवा या संस्था की सेवा की शर्तों के अनुसार उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से परे न हो । इस प्रकार नियुक्त किये गये अधिकारी को अपने उस मूल विभाग/सेवा या काडर या अन्य निकायों में प्रतिवर्तन का या धारणाधिकार रखने का अधिकार होगा जिस सेवा से उसे नियम 8 के अधीन लिया गया है किन्तु ऐसे प्रतिवर्तन पर वे विभाग सेवा या संस्था की सेवा की शर्तों द्वारा शासित होंगे किन्तु जहां तक राजस्थान सरकार के अधीन की सेवा का संबंध है इन नियमों के अधीन की गई सेवा समस्त प्रयोजनों के लिए गिनी जायेगी सिवाय इसके कि उन्हें निदेशक या उप-निदेशक या वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में वेतन या वेतनमान या उनके द्वारा धारित प्रास्थिति के संरक्षण का कोई अधिकार तब तक नहीं होगा, जब तक इन नियमों में अन्यथा उपबंधित न हो:

परन्तु निदेशक, उप निदेशक या वैज्ञानिक अधिकारी अपने मूल विभाग, सेवा या संस्था की सेवा की शर्तों के अनुसार जो उसे ऐसे कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा जो राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन सामान्यत: अनुज्ञेय से भिन्न हों । अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे सकेगा या सेवानिवृत्ति ले सकेगा:

परन्तु यह और कि ज्योंही कोई व्यक्ति इन नियमों के अधीन अपने द्वारा धारित पद से उच्चतर वेतनमान वाले किसी पद पर मूल काडर में पदोन्नत हो तो उसे तुरन्त मूल विभाग में प्रतिवर्तित कर दिया जायेगा।

8. **चयन का स्रोत**:-इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात्, अनुसूची-1 के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्त के लिये चयन नियम 10 में निर्दिष्ट समिति की सिफारिश की अनुसूची-I के स्तम्भ 3 में उल्लिखित उन व्यक्तियों में से किया जायेगा जो या तो सरकार या भारत सरकार, विश्वविद्यालय जिसमें डीम्ड विश्वविद्यालय भी सम्मिलित है या सरकार द्वारा नियंत्रित या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय या मान्यता प्राप्त शैक्षिक विद्यालय, महाविद्यालय या अनुसंधान संस्थान या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या सरकार द्वारा नियंत्रित निकाय, के अधीन किसी पद पर धारणाधिकार रखते हैं या जो तदर्थ, स्टाप गैप या आकस्मिक आधार से भिन्न नियमित आधार पर नियुक्त किये गये हैं।

9. **चयन के लिये पात्रता**:-विभिन्न पदों के लिये विचार किये जाने हेतु केवल वे ही व्यक्ति पात्र होंगे जो उस वर्ष की 1 अप्रेल को, जिसमें उनके बारे में विचार किया जाना है, अनुसूची-I में अधिकथित शर्तों को पूरा करते हों:

परन्तु चयन समिति को पर्यावरण का विशिष्ट अनुभव और विवेक रखने वाले विशेष रूप से योग्य अभ्यर्थियों के मामले में अनुसूची में पात्रता के लिये नियत की गई आयु सीमा की अपेक्षाएं, यदि कोई हों, शिथिल करने की शक्तियां होंगी।

10. **चयन समिति**:-(क) निदेशक और उप-निदेशक के पदों पर चयन एक समिति की सिफारिश पर किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

1.	मुख्य शासन सचिव या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई भी अन्य शासन सचिव।	अध्यक्ष
2.	कार्मिक विभाग का शासन सचिव या उसका प्रतिनिधि जो कार्मिक विभाग के उप शासन सचिव के रैंक से नीचे का न हो।	सदस्य
3.	मुख्य सचिव द्वारा नाम निर्दिष्ट दो व्यक्ति जो पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्टता रखते हों।	सदस्य
4.	पर्यावरण विभाग का शासन सचिव	सदस्य
5.	पर्यावरण विभाग का विशेषाधिकारी एवं अपर शासन सचिव	सदस्य-सचिव

(ख) वैज्ञानिक अधिकारियों के पद पर चयन एक समिति की सिफारिश पर किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

1.	पर्यावरण विभाग का शासन सचिव	अध्यक्ष
2.	कार्मिक विभाग का शासन सचिव या उसका प्रतिनिधि जो कार्मिक विभाग के उप शासन सचिव की रैंक से नीचे का न हो।	सदस्य

3. पर्यावरण विभाग का विशेषाधिकारी एवं अपर शासन सचिव । — सदस्य
4. निदेशक, पर्यावरण विभाग, राजस्थान । — सदस्य-सचिव ।

11. चयन के लिये कसौटी:- चयन, चयन समिति द्वारा निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार के पश्चात किया जायेगा:-

क. तकनीकी एवं अनुसंधान संबंधी अर्हताएं और उनका व्यावहारिक प्रयोग,
ख. व्यक्तित्व और चरित्र,
ग. चातुर्य, बुद्धिमत्ता और स्फूर्ति,
घ. सत्यनिष्ठा,
ङ. सेवा का पूर्व अभिलेख, और
च. पूर्व अनुभव ।

12. चयन की प्रक्रिया:- (1) ज्योंही यह विनिश्चित हो कि अनुसूची-I के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट किसी संख्या में रिक्त पदों को भरने के लिये अनुसूची-I के स्तम्भ 3-4 में उल्लिखित अधिकारियों में से चयन किया जाना हो, शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, या ऐसा कोई अधिकारी, जिसे वह इस प्रयोजन के लिये निर्देश दे, समस्त संबंधित विभागों को और ऐसी अनुसंधान/शैक्षिक संस्था और संगठनों को, जैसा वह ठीक समझे, एक परिपत्र भेजेगा और समस्त पात्र अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित करने के लिये एक विज्ञापन भी जारी करेगा और अनुसूची-I के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सेवाओं के संबंधित विभागाध्यक्षों और संस्थाओं के प्रमुखों से किसी विहित तारीख तक उन अधिकारियों के जो इन नियमों के उपबंधों के अधीन इन नियमों की अनुसूची-I के स्तम्भ 2 में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर चयन के लिए पात्र हैं, और जिनके नाम सूची में सम्मिलित किया गये हैं, उनके संबंध में अपनी सिफारिशें वार्षिक गोपनीय पंजियों/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों तथा अन्य सेवा अभिलेख के साथ, भेजने की अपेक्षा करेगा ।

(2) उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन सिफारिशें प्राप्त होने पर शासन सचिव, पर्यावरण विभाग या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी समस्त पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा और उसे ऐसे अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय पंजियों/वार्षिक-कार्य-मूल्यांकन प्रतिवेदनों और सेवा अभिलेख के साथ, जिनके नाम सूची में सम्मिलित किये गये हों नियम 10 में निर्दिष्ट समितियों के सामने रखेगा जो भरी जाने वाली संभावित रिक्तियों की संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन उनके योग्यता क्रम में करेगी:

परन्तु यदि उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध हो तो समितियां आरक्षित सूची में अधिक अभ्यर्थियों को रख सकेगी जिनकी संख्या अवधारित रिक्तियों के 50% से अधिक नहीं होगी । ऐसे अभ्यर्थियों के नामों पर नियुक्ति के लिये तब विचार किया जा सकेगा यदि ऐसी रिक्तियां चयन की तारीख से 6 मास के भीतर-भीतर वास्तव में हों ।

13. नियुक्ति:-(1) अनुसूची-I के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट पद पर नियुक्ति योग्यता क्रम में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, नियम 12 के उप-नियम (2) के अधीन तैयार की गई सूची में सम्मिलित किये गये व्यक्तियों में से की जायेगी।

(2) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी को सरकार द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। परन्तु ऐसे अधिकारी की नियुक्ति अनुमोदन के लिये समिति को, ज्योंही नियुक्ति के पश्चात् उसकी बैठक हो, निर्दिष्ट की जायेगी और नियुक्ति की अवधि नियम 7 में विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक नहीं होगी।

14. अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति:-अनुसूची-I के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट पद पर नियम 12 के अनुसार नियमित चयन होने तक के लिये नियुक्ति प्राधिकारी इन नियमों के अधीन पात्र किसी व्यक्ति को बिलकुल अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर छह मास से अनधिक की कालावधि के लिये नियुक्त कर सकेगा।

15. वेतन तथा अन्य शर्तें:-(1) अनुसूची-I के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट पद के लिये अनुज्ञेय वेतनमान और प्रारंभिक वेतन और मूल काडर में पदोन्नति पद वेतन में वृद्धि से संबंधित अन्य शर्तें तथा सेवा निवृत्ति फायदे अनुसूची-II के अधिकथितानुसार और ऐसे होंगे जो सरकार द्वारा समय-समय पर वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत किये जायें।

(2) राजस्थान राज्य के सरकारी कर्मचारियों से भिन्न अधिकारियों की संविदा प्रतिनियुक्ति की शर्तें ऐसी होंगी जिन पर सरकार द्वारा संबंधित मूल प्राधिकारी की सहमति हो जाये।

(3) इन नियमों में यथोउपबंधित के सिवाय, इन नियमों की अनुसूची-I के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट पद के लिये सेवा की अन्य शर्तें संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा बनाये गये तथा तत्समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आधिकारियों पर लागू अन्य नियमों द्वारा विनियमित होंगी।

(4) यदि अधिकारी अपने मूल विभाग/संस्था में पदोन्नति के कारण किसी उच्चतर वेतनमान के लिये हकदार हो जाता है तो पर्यावरण विभाग उसे उसके मूल विभाग में भेजने के लिये बाध्य होगा।

16. शंकाओं का निराकरण:-यदि इन नियमों के लागू किये जाने, इनके निर्वचन और विस्तार के सम्बन्ध में कोई शंका उत्पन्न हो तो मामला सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

17. निरसन तथा व्यावृत्ति:-इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों से संबंधित समस्त नियम और आदेश, जो इन नियमों के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं।

अनुसूची- I

क्र.सं.	पद का नाम और वेतनमान	सेवा या पद या संस्था इत्यादि का नाम जिसके सदस्य या धारक विचार किये जाने के पात्र हैं	वेतनमान या न्यूनतम वेतन, पात्रता की शर्तें	पात्रता के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं और न्यूनतम अनुभव	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5		7
1.	निदेशक	(i) सरकार के विभिन्न राज्य सेवा नियमों में संवर्गित समस्त अधिकारी जो				
		(क) सरकार के वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे हों	3000-4500 के वेतनमान में 3400/- रुपया या इससे अधिक वेतन आहरित कर रहे हों।	30-48 वर्ष	स्नातक, साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में न्यूनतम 9 वर्ष का अनुभव जो कि वन, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि, रसायन विज्ञान, रसायन अभियांत्रिकी, जैव रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, भू-भौतिकी, पर्यावरणीय विज्ञान, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरणीय नियोजन में से किसी एक विषय से सम्बन्धित हो।	-
		(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे हों।	3000-4500 के वेतनमान में 3400/- रुपया या इससे अधिक वेतन आहरित कर रहे हों	30-48 वर्ष	स्नातक, साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में न्यूनतम 9 वर्ष का अनुभव जो कि वन, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि, रसायन विज्ञान, रसायन अभियांत्रिकी, जैव रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भू-गर्भ विज्ञान, भू-भौतिकी, पर्यावरणीय विज्ञान, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरणीय नियोजन में से किसी एक विषय से सम्बन्धित हो।	-

1	2	3	4	5	6	7
		(ii) निम्नलिखित के स्थायी कर्मचारी				
		(क) कर्मचारी सरकार द्वारा स्थापित राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम तथा स्वशासी निकायों के स्थायी कर्मचारी जो राज्य के पैटर्न पर वेतन आहरित कर रहे हों	3000-4500 के वेतनमान में 3400/- रुपया या इससे अधिक वेतन आहरित कर रहे हों	30-48 वर्ष	स्नातक, साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में न्यूनतम 9 वर्ष का अनुभव जो कि वन, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि, रसायन विज्ञान, रसायन अभियांत्रिकी, जैव रसायन, पशु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भू-गर्भ विज्ञान, भू-भौतिकी, पर्यावरणीय विज्ञान, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरणीय नियोजन में से किसी एक विषय से सम्बन्धित हो।	-
		(ख) भारत सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वशासी निकाय और केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के	3000-4500 के वेतनमान में 3400/- रुपया या इससे अधिक वेतन आहरित कर रहे हों	30-48 वर्ष	स्नातक, साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में न्यूनतम 9 वर्ष का अनुभव जो कि वन, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि, रसायन विज्ञान, रसायन अभियांत्रिकी, जैव रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भू-गर्भ विज्ञान, भू-भौतिकी, पर्यावरणीय विज्ञान, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरणीय नियोजन में से किसी एक विषय से सम्बन्धित हो।	-
		(iii) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय (जिसमें डीम्ड विश्वविद्यालय भी सम्मिलित हैं) या किसी भी	3000-4500 के वेतनमान में 3400/- रुपया या इससे	30-48 वर्ष	स्नातक, साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में न्यूनतम 9 वर्ष का अनुभव जो कि वन, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि, रसायन विज्ञान, रसायन	प्रतिनियुक्ति या संविदा आधार

1	2	3	4	5	6	7
		सरकारी सहायता प्राप्त अध्यापन महाविद्यालय या अनुसंधान संस्थान के रीडर/प्रध्यापक	अधिक वेतन आहरित कर रहे हों		अभियांत्रिकी, जैव रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, भू-भौतिकी, पर्यावरणीय विज्ञान, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरणीय नियोजन में से किसी एक विषय से सम्बन्धित हो ।	पर
2.	उप निदेशक	(i) सरकार के विभिन्न राज्य सेवा नियमों में संवर्गित समस्त अधिकारी जो				
		(क) सरकार के वेतनमान में वेतन अहरित कर रहे हों	2200-4000 के वेतनमान में 2650/- रुपया या इससे अधिक मूल वेतन आहरित कर रहे हों	28-45 वर्ष	स्नातक, साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव जो कि वन, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि, रसायन विज्ञान, रसायन अभियांत्रिकी, जैव रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भू-गर्भ विज्ञान, भू-भौतिकी, पर्यावरणीय विज्ञान, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरणीय नियोजन में से किसी एक विषय से सम्बन्धित हो ।	-
		(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे हों	2200-4000 के वेतनमान में 2650/- रुपया या इससे अधिक मूल वेतन आहरित	28-45 वर्ष	स्नातक, साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव जो कि वन, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि, रसायन विज्ञान, रसायन अभियांत्रिकी, जैव रसायन, जन्तु विज्ञान,	-

1	2	3	4	5	6	7
			कर रहे हों		वनस्पति विज्ञान, भू-गर्भ विज्ञान, भू-भौतिकी, पर्यावरणीय विज्ञान, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरणीय नियोजन में से किसी एक विषय से सम्बन्धित हो ।	
		(ii) निम्नलिखित के स्थायी कर्मचारी				
		(क) सरकार द्वारा स्थापित राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों तथा स्वशासी निकायों के स्थायी कर्मचारी जो राज्य के पैटर्न पर वेतन आहरित कर रहे हों	2200-4000 के वेतनमान में 2650/- रुपया या इससे अधिक मूल वेतन आहरित कर रहे हों	28-45 वर्ष	स्नातक, साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव जो कि वन, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि, रसायन विज्ञान, रसायन अभियांत्रिकी, जैव रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, भू-भौतिकी, पर्यावरणीय विज्ञान, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरणीय नियोजन में से किसी एक विषय से सम्बन्धित हो ।	-
		(ख) भारत सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वशासी निकायों और केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के स्थायी कर्मचारी	2200-4000 के वेतनमान में 2650/- रुपया या इससे अधिक मूल वेतन आहरित कर रहे हों	28-45 वर्ष	स्नातक, साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव जो कि वन, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि, रसायन विज्ञान, रसायन अभियांत्रिकी, जैव रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, भू-भौतिकी, पर्यावरणीय विज्ञान, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरणीय नियोजन में से, किसी एक विषय से सम्बन्धित हो ।	-

98

1	2	3	4	5	6	7
		(iii) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय (जिसमें डीम्ड विश्वविद्यालय भी सम्मिलित हैं) या किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त अध्यापन महाविद्यालय या अनुसंधान संस्थान के प्रध्यापक	2200-4000 के वेतनमान में 2650/- रुपया या इससे अधिक मूल वेतन आहरित कर रहे हों।	28-45 वर्ष	स्नातक, साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव जो कि वन, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि, रसायन विज्ञान, रसायन अभियांत्रिकी, जैव रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भू-गर्भ विज्ञान, भू-भौतिकी, पर्यावरणीय विज्ञान, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरणीय नियोजन में से, किसी एक विषय से सम्बन्धित हो।	प्रतिनियुक्ति या संविदा के आधार पर।
3.	वैज्ञानिक अधिकारी					
		(क) राज्य की कोई भी अधीनस्थ सेवा	1400-2600 के वेतनमान में मूल वेतन 1850/- या इससे अधिक वेतन आहरित कर रहे अधिकारी	25-40 वर्ष	स्नातक, साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव जो कि वन, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि, रसायन विज्ञान, रसायन अभियांत्रिकी, जैव रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, भू-भौतिकी, पर्यावरणीय विज्ञान, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरणीय नियोजन में से किसी एक विषय से सम्बन्धित हो।	-
		(ख) सरकार द्वारा स्थापित स्वशासी निकायों या राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के स्थायी कर्मचारी	1400-2600 के वेतनमान में मूल वेतन 1850/- या इससे अधिक वेतन आहरित कर रहे अधिकारी	25-40 वर्ष	स्नातक, साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव जो कि वन, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि, रसायन विज्ञान, रसायन अभियांत्रिकी, जैव रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, भू-भौतिकी,	-

1	2	3	4	5	6	7
					पर्यावरणीय विज्ञान, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरणीय नियोजन में से किसी एक विषय से सम्बन्धित हो ।	
		(ग) केन्द्रीय सरकार के या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वशासी निकायों और केन्द्रीय सरकार के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के स्थायी कर्मचारी	1400-2600 के वेतनमान में मूल वेतन 1850/- या इससे अधिक वेतन आहरित कर रहे अधिकारी	25-40 वर्ष	स्नातक, साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव जो कि वन, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि, रसायन विज्ञान, रसायन अभियांत्रिकी, जैव रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भू-गर्भ विज्ञान, भू-भौतिकी, पर्यावरणीय विज्ञान, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरणीय नियोजन में से किसी एक विषय से सम्बन्धित हो ।	-
		(घ) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय (जिसमें डीम्ड विश्वविद्यालय भी सम्मिलित हैं) या किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त अध्यापन महाविद्यालय या अनुसंधान संस्थान के प्रध्यापक या अनुसंधान/विस्तार कर्मचारी	1400-2600 के वेतनमान में मूल वेतन 1850/- या इससे अधिक वेतन आहरित कर रहे अधिकारी	25-40 वर्ष	स्नातक, साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव जो कि वन, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि, रसायन विज्ञान, रसायन अभियांत्रिकी, जैव रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, भूभौतिकी, पर्यावरणीय विज्ञान, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरणीय नियोजन में से किसी एक विषय से सम्बन्धित हो ।	प्रतिनियुक्ति या संविदा आधार पर

अनुसूची–II
(नियम 15 देखिए)
वेतन, पदोन्नति की शर्तें और सेवा की अन्य शर्तें

1. वेतनमान:–विभिन्न पदों पर नियुक्ति पर अधिकारी का वेतन अनुसूची-I के स्तम्भ 2 में उल्लिखित वेतनमान में उसके द्वारा विद्यमान पद (अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत में) पर आहरित वास्तविक वेतन में निदेशक के मामले में 200/-रु., उप निदेशक के मामले में 150/- रु. और वैज्ञानिक अधिकारी के मामले में 75/- रु. की वृद्धि करके काल्पनिक रूप से निकाले गये वेतन के बराबर की स्टेज पर और यदि ऐसी कोई बराबर की स्टेज न हो तो अगली उच्चतर स्टेज पर नियत किया जायेगा। अगली वेतनवृद्धि राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 31 के अधीन संगणित वेतनवृद्धि कालावधि पूरी होने के पश्चात् प्रोद्भूत होगी:

परन्तु यह कि सेवा के उन अधिकारियों को, जो उपरिवर्णित वेतन नियम में वेतन नियतन के लिए पात्र नहीं है, निदेशक के मामले में 200/- रु. प्रतिमास, उप निदेशक के मामले में 150/- रु. प्रतिमास और वैज्ञानिक अधिकारी के मामले में 75/- रु. प्रतिमास का विशेष वेतन मंजूर किया जा सकेगा।

अपवाद–इस नियम के प्रयोजन के लिए स्थानापन्न वेतन से नियमित नियुक्ति के पश्चात् विद्यमान पद पर स्थानापन्न हैसियत से आहरित वेतन अभिप्रेत है और इसमें तदर्थ या अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर या छुट्टी के कारण हुई रिक्ति या बिलकुल अस्थायी आधार पर हुई रिक्ति के कारण आहरित वेतन सम्मिलित नहीं होगा।

2. मूल काडर में पदोन्नति:–इन नियमों के अधीन निदेशक, उप निदेशक और वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में नियुक्ति किया गया व्यक्ति अपने मूल काडर में प्रोफार्मा पदोन्नति के लिए हकदार होगा और उसके मूल काडर में उच्चतर पद पर उसका वेतन राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 26 क में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार नियत किया जायेगा। निदेशक, उप निदेशक, वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में की गई सेवा की कालावधि मूल काडर में उसके पद पर समय-समय पर लागू वेतनमान में वेतन वृद्धि के प्रयोजनार्थ गिनी जायेगी।

3. पेंशन, भविष्य निधि आदि:-यदि संबंधित व्यक्ति निदेशक, उप-निदेशक या वैज्ञानिक अधिकारी का पद धारण करते हुए सेवा निवृत्त होता है तो राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 250 (ग) के अधीन पेंशन, ग्रेच्यूइटी (उपदान) संगणित करने के लिए प्रयोजनार्थ उसकी परिलब्धियां वे मानी जायेगी जिनका वह तब हकदार होता यदि उसे निदेशक या उप-निदेशक या वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में नियुक्ति नहीं किया गया होता।

[संख्या एफ.5(1)कार्मिक/क-2/98]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

सूरजमल केड़वाल,

उप शासन सचिव।

(c)\

DEPARTMENT OF PERSONNEL

(A Group-II)

NOTIFICATION

Jaipur, March 19, 1998

G.S.R. 107.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following Rules laying down the procedure for Special Selection and conditions of Service for appointment as Director, Deputy directors and Scientific Officers in the Department of Environment, Rajasthan, namely:—

THE RAJASTHAN CIVIL SERVICES (SPECIAL SELECTION AND SPECIAL CONDITIONS OF SERVICE OF DIRECTOR, DEPUTY DIRECTORS AND SCIENTIFIC OFFICERS IN THE DEPARTMENT OF ENVIRONMENT) RULES, 1998.

1. **Short title and commencement.**— (i) These Rules may be called the Rajasthan Civil Services (Special Selection and Special conditions of Service of Director, Deputy Directors and Scientific Officers in the Department of Environment) Rules1997.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Rajasthan Rajpatra.

2. **Scope and Application:**—These Rules shall apply to the appointment of Director, Deputy directors and Scientific Officers in the Department of Environment of the Government.

3. **Definitions:**— In these rules, unless the context otherwise requires:

(a) "Appointing Authority" means the Government of Rajasthan in the case of Director and Deputy director and Director in the case of Scientific Officer or such other officer to whom this power may be delegated by the Government with or without any conditions;

(b) "Committee" means the Committee referred to in rule 10;

(c) "Government" means the government of Rajasthan;

(d) "Record of Service" means the annual Confidential Reports/Annual Performance Appraisal Reports where maintenance of such record is prescribed and other relevant service record;

(e) "State" means the State of Rajasthan;

(f) "Schedule" means the Schedule appended to these Rules, and

(g) "Year" means the financial year.

4. **Interpretation.**— Unless the context otherwise requires the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Rajasthan Act VIII of 1955) shall apply for the interpretation of these Rules as it applies for the interpretation of a Rajasthan Act.

5. **Composition, Nature and Strength of Posts.**— (i) There shall be three categories of posts as specified in Schedule I to be held on tenure basis, or as the Government may sanction from time to time.

(ii) The strength of the posts of each category shall be such as may be sanctioned by the Government from time to time :

Provided that the Government may leave unfilled or hold in abeyance or abolish any post, without thereby entitling any person to any compensation.

6. **Determination of Vacancies.**— The Appointing Authority shall determine as soon as possible after 1st April of every year, the number of vacancies anticipated to be filled in each category during the next twelve months or as and when such contingency arises.

Provided that for the year 1997-98 determination of vacancies shall be done as soon as possible after the commencement of these Rules.

7. **Tenure.**— (i) The posts of Director or Deputy Directors or Scientific Officers shall be held by an officer for a tenure ordinarily not exceeding three years which may be extended by the Appointing Authority of Further term not

exceeding one year at a time but the total tenure shall not exceed six years in any case.

(ii) All appointments to the post as specified in the Schedule I shall in the first instance be on temporary transfer or deputation from the parent Department/service or Research/Teaching Institutions or Organisations and for a period of one year which may be extended till the period indicated by the Appointing Authority from time to time subject to the condition that such extension shall not be beyond the date of his retirement according to the condition of service of his parent Department/service or institution. The officer so appointed shall have right of reversion or lien in their respective parent Department/service or cadre or other bodies from which service they are drawn under rule 8 but on such reversion they shall be governed by the conditions of service of the Department/service or institution but so far as services under the Government of Rajasthan are concerned service rendered under these Rules shall count for all purposes, except that they shall not have any right to protection of pay or scale or status held by them as Director or Deputy Director or Scientific Officer, unless otherwise provided in these Rules :

Provided that a Director, Deputy Director or Scientific Officer may on his will resign or seek retirement according to the conditions of service of his parent Department/service or institution which will neither confer upon him any right than those ordinarily admissible under the Rajasthan Service Rules, 1951.

Provided further that as soon as the persons promoted in the parent cadre on a post carrying higher pay scales than the post held by him under these Rules he shall be reverted back to the parent Department immediately.

8. **Source of Selection.**— Selection for appointment to the posts as specified in Column 2 of Schedule-I after the Commencement of these Rules shalll be made on the recommendation of the Committee referred to in rule 10 from amongst persons mentioned in Column 3 of Schedule-I who hold lien or who have been appointed on regular basis

otherwise than in *ad-hoc*, stop gap or fortuitous basis on a post either under the Government or the Government of India, Universities including deemed Universities or Government controlled or a Government aided or recognised teaching School, College or Research Institute or Public Sector Undertaking or Government controlled body.

9. **Eligibility for selection.**—Only such persons shall be eligible for consideration for the various posts who fulfil the conditions laid down in Schedule-I on the 1st April of the year in which they are considered :

Provided that the Selection Committee shall have powers to relax the requirements of age limit, if any, fixed for eligibility in the Schedule-I in the case of specially deserving candidates with significant experience and flair for Environment.

10. **Selection Committee.**— (a) Selection to the posts of Director and Deputy Directors shall be made on the recommendations of the Committee consisting of the following:—

(1) Chief Secretary to the Government or any other Secretary to the Government nominated by him.	Chairman
(2) Secretary to the Government, in the Department of Personnel or his representative not below the rank of Deputy Secretary to the Government in the Department of Personnel.	Member
(3) Two persons of aminence in the field of Environment to be Nominated by the Chief Secretary.	Member
(4) Secretary to the Government in the Department of Environment.	Member
(5) OSD cum Additional Secretary to	

the Government in the Department of Environment.	Member-Secretary

(b) Selection to the post of Scientific officers shall be made on the recommendations of a Committee consisting of the following:—

(1) Secretary to the Government in the Department of Environment.	Chairman
(2) Secretary to the Government, in the Department of Personnel or his representative not below the rank of Deputy Secretary to the Government in the Department of Personnel.	Member
(3) OSD cum Additional Secretary to the Government in the Department of Environment.	Member-
(4) Director, Environments Department, Rajasthan.	Member-Secretary

11. **Criteria for Selection.**—Selection shall be made by the Committee after an interview having regard to:

(a) Technical and Research qualificatios and practical application thereof,

(b) Personality and Character,

(c) Tact, intelligence and energy,

(d) Integrity,

(e) Previous record of Service and

(f) Past experience.

12. **Procedure for Selection** .—(1) As soon as it is decided that selection is to be made to fill a certain number of vacant posts as specified in Column 2 of Schedule-I from amongst the officers mentioned in Column-3-4 of Schedule-I, the Secretary to the Governmnet, Environment Department, or such officer , whom he may direct for this purpose, shall send a circular to all Departments concerned

and to such Research/Teaching Institute and Organisations as he deems fit, and, may also issue an advertisement for inviting applications from all eligible officers and shall call upon the respective Heads of Department and Institutions of the Services mentioned in Column-3 of Schedule-I to send by a prescribed date their recommendations in respect of the officers who are eligible for selection to the post as specified inColumn-2 of Schedule-I of these Rules under the provisions of these Rules alongwith the Annual Confidential Rolls/ Annual Performance Appraisals and other Service Record of the officers whose names are included in the list.

(2) On receipt of recommendations under sub-rule (1) above, the Secretary to the Governmnet, Environment Department, or the officer nominated by him, shall prepare a list of all the eligible candidates and shall place the same alongwith Annual Confidential Rolls/Annual Performance Appraisal Reports and Service Record of the officers whose names are included in the list before the Committee referrred to in rule 10 which shall select a number of candidates equal to the number of vacancies likely to be filled in, in order of their merit.

Provided that the Committee may, if suitable persons are available, keep on reserve list more candidates whose number shall not exceed 50% of the vacancies determined. The name of such candidates may be considered for appointment if such vacancies actually occur within sik months six from the date of selection.

13. **Appointment.**—(1) Appointment to the post as specified in column 2 of Schedule-I shall be made from amongst the persons included in the list prepared under sub-rule (2) of rule 12 by the Appointing Authority in the order of merit.

(2) Notwithstanding any-thing contained in these Rules an All India Service Officer may be appointed by the Government as Director :

Provided that the appointment of such officer shall be referred for approval to the Committee as soon as it meets after such appointment and the tenure of appointment shall not exceed the terms specified in Rule 7.

14. **Urgent Temporary Appointment.**—Pending regular selection to the post as specified in Column 2 of Schedule-I in accordance with rule 12, the Appointing Authority may appoint a person eligble under these Rules purely on urgent temporary basis for a period not exceeding six months.

15. **Pay and Other Conditions.**— (1) The scale of pay and initial pay admissible to the post as specified in Column 2 of Schedule-I and other conditions relating to increase in pay on promotion in the parent cadre and retirement benefits shall be as laid down in schedule-II and shall be such as may be sanctioned by the Government with the concurrence of the Finance Department from time to time.

(2) The conditions of contract or deputation of officers other than Rajasthan State Government Servants, shall be such as may be agreed by the Government and the parent authority or the officer concerned.

(3) Except as provided in these Rules other service conditions to the post as specified in column 2 of schedule-I of these Rules shall be regulated by other rules applicable to officers of the state Government made by the appropriate authority under the proviso to Article 309 of the Constitution of India and for the time being in force.

(4) If on account of promotion of the officer in his parent Department/Institution he become entitled for a higher pay scale than the Environment Department will be bound to relieve him to his parent Department.

16. **Removal of Doubts.**— If any doubt arises relating to the application, interpretation and scope of these Rules, it shalll be referred to the Government in the Department of Personnel whose decision thereon shall be final.

17. **Repeal and Saving.**— All rules and orders in relation to matters covered by these Rules and in force immediately before the commencement of these Rules are hereby repealed.

SCHEDULE-I

No.	Name of the Post & Pay Scale	Name of the Service or post or Institution etc. member or or holder of which are eligible for consideration	Condition of Scale of Pay or minimum pay eligibility	Minimum& Maximum Age limit for eligibility	Academic Qualifications and Minimum experience	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Director	(i) All Officers encadered in the various State Services Rules of Government				
		(a) Drawing pay in pay-scale of Government	Drawing basic pay of Rs. 3400 or above in the pay scale of 3000-4500	30-48 years	Graduate, with minimum experience of 9 years in the Field of environment related to the subject of either Forest, Public Health Engineering, Agriculture, Chemistry, Chemical Engineering, Bio-Chemistry, Zoology, Botany, Geology, Geophysics, Environmental Science, Environmental Engineering, Pollution Control or Environmental Planning.	- - - - -

1	2	3	4	5	6	7
		(b) Drawing pay in UGC pay scale	Drawing basic pay of Rs. 3400 or above in the pay scale of 3000-4500	30-48 years	Graduate, with minimum expeience of 9 years in the field of environment related to the subject of either Forest, Public Health Engineering, Agriculture, Chemistry, Chemical Engineering, Bio-Chemistry, Zoology, Botny, Geology, Geo-Physics, Environmental Science, Environmental Engineering, Pollution Control or Environmental planning.	-----
		(ii) Permanent employees of (a) State Public Sector Undertakings and Autonomous bodies established by Government drawing pay on State pattern	Drawing basic pay of Rs. 3400 or above in the pay scale of 3000-4500	30-48 years	Graduate, with minimum expeience of 9 years in the field of environment related to the subject of either Forest, Public Health Engineering, Agriculture, Chemistry, Chemical Engineering, Bio-Chemistry, Zoology, Botny, Geology, Geo-Physics, Environmental Science,	-----

1	2	3	4	5	6	7
					Environmental Engineering, Pollution Control or Environmental planning.	
		(b) Government of India or Autonomous bodies established by Central Govermnet and Central Public Sector Undertakings.	Drawing basic pay of Rs. 3400 or above in the pay scale of 3000-4500	30-48 years	Graduate, with minimum expeience of 9 years in the field of environment related to the subject of either Forest, Public Health Engineering, Agriculture, Chemistry, Chemical Engineering, Bio-Chemistry, Zoology, Botny, Geology, Geo-Physics, Environmental Science, Environmental Engineering, Pollution Control or Environmental planning.	- - - - -
		(iii) Reder/Lecturer of any University established by law in India (including deemed universities or any Government aided College of Teaching or Research Institute.	Drawing basic pay of Rs. 3400 or above in the pay scale 3000-4500	30-48 years	Graduate, with minimum expeience of 9 years in the field of environment related to the subject of either Forest, Public Health Engineering, Agriculture, Chemistry, Chemical Engineering, Bio-Chemistry, Zoology, Botny, Geology, Geo-Physics,	Ondeputation or Contract basis

1	2	3	4	5	6	7
					Environmental Science, Environmental Engineering, Pollution Control or Environmental planning.	
	Deputy Director	(i) All Officers encadered in the various State Service Roles of Government (a) Drawing pay in pay of Government	Drawing basic pay of Rs. 2650 or above in the pay scale of 2200-4000	28-45 years	Graduate, with minimum expeience of 5 years in the field of environment related to the subject of either Forest, Public Health Engineering, Agriculture, Chemistry, Chemical Engineering, Bio-Chemistry, Zoology, Botny, Geology, Geo-Physics, Environmental Science, Environmental Engineering, Pollution Control or Environmental planning.	-----
		(b) Drawing pay in University Grant Commission pay scale	Drawing basic pay of Rs. 2650 or above in the pay scale of 2200-4000	28-45 years	Graduate, with minimum expeience of 5 years in the field of environment related to the subject of either Forest, Public Health Engineering, Agriculture, Chemistry, Chemical Engineering, Bio-Chemistry, Zoology, Botny,	-----

1	2	3	4	5	6	7
					Geology, Geo-Physics, Environmental Science, Environmental Engineering, Pollution Control or Environmental planning.	
		(ii) Permanent employees of (a) State Public Sector Undertakings and Autonomous bodies by Government established drawing pay on State pattern	Drawing basic pay of Rs. 2650 or above in the pay scale of 2200-4000	28-45 years	Graduate, with minimum expeience of 9 years in the field of environment related to the subject of either Forest, Public Health Engineering, Agriculture, Chemistry, Chemical Engineering, Bio-Chemistry, Zoology, Botny, Geology, Geo-Physics, Environmental Science, Environmental Engineering, Pollution Control or Environmental planning.	- - - - -
		(b) Government of India or Autonomous bodies establishment by Central Government and Central Public Sector Undertakings.	Drawing basic pay of Rs. 2650 or above in the pay scale of 2200-4000	28-45 years	Graduate, with minimum expeience of 5 years in the field of environment related to the subject of either Forest, Public Health Engineering, Agriculture, Chemistry,	- - - - -

112

1	2	3	4	5	6	7
					pay on State pattern Chemical Engineering, Bio-Chemistry, Zoology, Botny, Geology, Geo-Physics, Environmentdl Science, Environmental Engineering, Pollution Control or Environmental planning.	
		(iii) Lecturer of any University established by law in India(including deemed Universities) or any Government aidedCollege of Teaching or Research Institute.	Drawing basic pay of Rs. 2650 or above in the pay scale of 2200-4000	28-45 years	Graduate, with minimum expeience of 5 years in the field of environment related to the subject of either Forest, Public Health Engineering, Agriculture, Chemistry, Chemical Engineering, Bio-Chemistry, Zoology, Botny, Geology, Geo-Physics, Environmental Science, Environmental Engineering, Pollution Control or Environmental planning.	Ondeputation or Contract basis
3.	scintific officer	(a) Any Subordinate Service of the Stete	Drawing basic pay of Rs. 1850	25-40 years	Graduate, with minimum expeience of 3 years in the field of environment related	- - - - -

1	2	3	4	5	6	7
			or above in the pay scale of 1400-2600		to the subject of either Forest, Public Health Engineering, Agriculture, Chemistry, Chemical Engineering, Bio-Chemistry, Zoology, Botny, Geology, Geo-Physics, Environmental Science, Environmental Engineering, Pollution Control or Environmental planning.	
		(b) Permanent employees of Autonomous bodies established by the Government or State Public Sector Undertaking.	Drawing basic pay of Rs. 1850 or above in the pay scale of 1400-2600	25-40 years	Graduate, with minimum expeience of 3 years in the field of environment related to the subject of either Forest, Public Health Engineering, Agriculture, Chemistry, Chemical Engineering, Bio-Chemistry, Zoology, Botny, Geology, Geo-Physics, Environmental Science, Environmental Engineering, Pollution Control or Environmental planning.	-----

1	2	3	4	5	6	7
		(c)permanent employees of central Government or Autonomous bodies established by Central Government or Public Sector Undertaking of Central Government	Drawing basic pay of Rs. 1850 or above in the pay scale of 1400-2600	25-40 years	Graduate, with minimum expeience of 3 years in the field of environment related to the subject of either Forest, Public Health Engineering, Agriculture, Chemistry, Chemical Engineering, Bio-Chemistry, Zoology, Botny, Geology, Geo-Physics, Environmental Science, Environmental Engineering, Pollution Control or Environmental planning.	- - - - -
		(d) Lecturer or Research/ Extension Staff of any University established by law in India (including deemed Universities) or any Government aided College of Teaching or Research Institute	Drawing basic pay of Rs. 1850 or above in the pay scale of 1400-2600	25-40 years	Graduate, with minimum expeience of 3 years in the field of environment related to the subject of either Forest, Public Health Engineering, Agriculture, Chemistry, Chemical Engineering, Bio-Chemistry, Zoology, Botny, Geology, Geo-Physics, Environmental Science, Environmental Engineering, Pollution Control or Environmental planning.	Ondeputation or Contract basis

SCHEDULE-II

(See Rule 15)

Conditions of Pay, promotion and Other conditions of service

1. **Scale of Pay.**—On appointment to the various posts the pay of the officer will be fixed in the pay scale as mentioned in Column 2 of Schedule-I at the stage equal to the pay notionally arrived at by increasing the actual pay drawn by him in the existing post (in substantive or officiating capacity) by Rs. 200/- in case of Director, Rs. 150/- in case of Deputy Director Rs. 75/- in case of Scientific Officer and in case there is no such equal stage than on the next higher stage. The next increment shall accrue after completion of full incremental period counting under rule 31 of the Rajasthan Service Rules, 1951:

Provided that in the case of officers of services who are not eligible for fixation of pay in the rule of pay mentioned above may be granted special pay of Rs. 200/- per month in case of Director, Rs. 150/- per month in case of Deputy Director and Rs. 75/- per month in case of Scientific Officer.

Exception.—The officiating pay for the prupose of this rule shall mean pay drawn in officiating capacity in the existing post after regular recruitment and shall not include pay drawn on *adchoc* or urgent temporary basis or on account of leave vacancy or purely as temporary basis.

2. **Promotion in the Parent Cadre.**—A person appointed as Director and Deputy Director, Scientific Officer under these Rules shall be entitled to proforma promotion in his parent cadre and his pay on the higher post of his parent cadre shall be fixed in accordance with the provisions contained in Rule 26A of the Rajasthan Service Rules, 1951. The period of service rendered as Director/Deputy Director/ Scientific Officer shall count for the purpose of increment in the pay scale applicable to his post in parent cadre from time to time.

3. **Pension, Provident Fund etc.**—If the person concerned retires while holding the post of Director or dep Director or Scientific Officer his emoluments for the prupose of calculating pension, gratuity under Rule 250(c) of the Rajasthan Service Rules, 1951 shall be taken at what he would have been entitled to had he not been appointed as Director or Deputy Director or Scientific Officer.

[No. F. 5 (1) DOP/A-II/98]

By Order and in the name of the Governor,

सूरजमल केड़वाल,

Deputy Secretary to Government.

Government Central Press, Jaipur